भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:5595

04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जननी सुरक्षा योजना

5595. श्री अरविंद गणपत सावंतः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्य सरकारों, विशेषकर महाराष्ट्र द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितनी धनराशि आवंटित/उपयोग की गई;

(ख) उक्त समयावधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत देश में कितने संस्थागत प्रसव दर्ज किए गए;

(ग) इस संबंध में विभिन्न राज्यों की रैंकिंग क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव के लिए आने वाली गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को नकद सहायता राशि देने का कोई प्रावधान है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विभिन्न गांवों/ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर महाराष्ट्र में इस प्रयोजन हेतु प्रदान की गई नकद सहायता राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित जेएसवाई के अंतर्गत किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): देश में इस योजना के तहत संस्थागत प्रसव (जेएसवाई लाभार्थियों की संख्या) की संख्या नीचे दी गई तालिका में दी गई है। एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार कुल संस्थागत प्रसवों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

संस्थागत प्रसव की संख्या (जेएसवाई लाभार्थियों की संख्या)					
वित्त वर्ष	**वित्त वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**
लाभार्थी (संख्या लाख में)	107.09	99.70	96.76	101.06	102.43

(घ) से (च): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत लागू की गई जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) एक सुरक्षित मातृत्व कार्यकलाप है, जो सामाजिक-आर्थिक स्थिति से कमजोर-वर्ग वाली महिलाओं अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों की महिलाओं सहित सभी गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देता है। महाराष्ट्र (उच्च निष्पादन वाले राज्य (एचपीएस)) सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जेएसवाई के तहत पात्रता और नकद सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

श्रेणी	**ग्रामीण क्षेत्र (रु. में)**	**शहरी क्षेत्र (रु. में)**	**पात्रता**
संस्थागत प्रसव के लिए वित्तीय सहायता			
कम निष्पादन वाले राज्य (एलपीएस)*	1400	1000	सरकारी/निजी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में प्रसव के लिए **सभी महिलाओं को** उपलब्ध कराना, चाहे उनकी आयु और उनके बच्चों की संख्या कुछ भी हो।
उच्च निष्पादन वाले राज्य (एचपीएस)**	700	600	सरकारी/निजी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में प्रसव के लिए केवल **बीपीएल/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की महिलाओं** को उपलब्ध कराना, चाहे उनकी आयु और उनके बच्चों की संख्या कुछ भी हो।
होम डिलीवरी के लिए वित्तीय सहायता			
कम निष्पादन वाले राज्य (एलपीएस)*	500	500	यह सुविधा केवल **बीपीएल महिलाओं** के लिए उपलब्ध है, जो घर पर ही प्रसव कराना पसंद करती हैं (चाहे उनकी आयु और उनके बच्चों की संख्या कुछ भी हो)।
उच्च निष्पादन वाले राज्य (एचपीएस)**	500	500	

* कम निष्पादन वाले राज्य अर्थात असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड (एलपीएस) वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनमें संस्थागत प्रसव दर कम है।

** उच्च निष्पादन वाले राज्य (एचपीएस) वे शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं, जहां संस्थागत प्रसव का स्तर संतोषजनक है।

दिनांक 04.04.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5595 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

राज्यवार जेएसवाई व्यय दर्शाने वाला विवरण (लाख रुपए में)						
क्र. सं.	**राज्य**	**वित्त वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3.48	1.70	1.32	0.75	1.04
2	आंध्र प्रदेश	1,424.28	3,028.47	1,747.25	2,528.71	4,088.97
3	अरुणाचल प्रदेश	102.95	166.85	69.66	301.98	52.48
4	असम	8,053.34	7,017.89	6,919.93	7,871.59	7,451.78
5	बिहार	26,542.72	27,153.73	24,905.95	29,563.10	27,650.71
6	चंडीगढ़	3.43	2.47	1.87	0.70	1.22
7	छत्तीसगढ़	6,317.86	6,445.84	6,349.13	7,593.36	6,292.06
8	दादरा एवं नगर हवेली	45.25	29.24	28.93	24.37	16.87
	दमन और दीव	1.74				
9	दिल्ली	77.52	33.37	38.85	41.5	51.28
10	गोवा	2.92	2.04	0.52	1.97	2.62
11	गुजरात	2,887.86	2,888.01	2,373.59	2,532.93	4,379.25
12	हरियाणा	627.40	536.90	582.49	641.22	534.41
13	हिमाचल प्रदेश	463.17	437.32	626.53	512.23	483.79
14	जम्मू और कश्मीर	2,552.28	2,260.37	2,160.45	2,397.42	1,689.38
15	झारखंड	7,510.45	6,959.84	3,797.86	7,334.31	8,209.81
16	कर्नाटक	4,580.00	4,590.02	3,524.84	4,064.05	4,391.89
17	केरल	1,463.42	2,093.44	1,397.41	1,836.30	1,143.47
18	लद्दाख		49.40	132.11	62.69	44.16
19	लक्षद्वीप	18.85	22.91	9.78	18.44	12.10
20	मध्य प्रदेश	20,614.90	17,753.76	19,689.00	19,085.77	19,489.27
21	महाराष्ट्र	4,773.57	4,286.95	3,698.46	5,105.59	4,660.26
22	मणिपुर	56.40	66.33	21.54	17.12	13.32
23	मेघालय	360.52	393.38	92.75	360.73	264.64
24	मिजोरम	129.83	83.05	108.68	97.56	70.36
25	नागालैंड	97.59	71.14	59.95	57.11	94.17
26	ओडिशा	9,384.32	9,433.84	11,924.48	9,209.66	8,472.30
27	पुदुचेरी	16.12	39.64	15.68	44.71	63.07
28	पंजाब	1,088.00	889.85	747.44	806.97	1,084.30
29	राजस्थान	17,503.85	17,404.90	15,832.16	19,033.50	18,497.29
30	सिक्किम	36.47	7.96	41.45	30.08	34.04
31	तमिलनाडु	2,350.20	2,307.72	1,498.77	2,660.00	2,385.29
32	तेलंगाना	2,131.73	2,013.26	3,222.07	1,674.05	1,693.76
33	त्रिपुरा	250.12	236.76	86.44	277.73	241.76
34	उत्तर प्रदेश	45,786.18	44,436.57	28,696.63	42,284.58	47,531.53
35	उत्तराखंड	1,629.50	1,303.72	1,164.28	1,253.52	1,307.25
36	पश्चिम बंगाल	8,500.48	8,111.64	6,304.96	8,483.51	9,086.17
स्रोत: वित्त वर्ष 2021-22 जैसा कि राज्य द्वारा तिमाही रिपोर्ट में साझा किया गया है। अन्य वित्त वर्ष जैसा कि राज्य द्वारा एनएचएम वित्त प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझा किया गया है।						

दिनांक 04.04.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5595 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक- II

संस्थागत प्रसव राज्य-वार	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**संस्थागत जन्म (%)**
केरल	99.8
गोवा	99.7
लक्षद्वीप	99.6
पुदुचेरी	99.6
तमिलनाडु	99.6
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	99.0
कर्नाटक	97.0
तेलंगाना	97.0
चंडीगढ़	96.9
आंध्र प्रदेश	96.5
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	96.5
लद्दाख	95.1
हरियाणा	94.9
राजस्थान	94.9
महाराष्ट्र	94.7
सिक्किम	94.7
गुजरात	94.3
पंजाब	94.3
जम्मू और कश्मीर	92.4
ओडिशा	92.2
दिल्ली	91.8
पश्चिम बंगाल	91.7
मध्य प्रदेश	90.7
त्रिपुरा	89.2
हिमाचल प्रदेश	88.2
मिजोरम	85.8
छत्तीसगढ़	85.7
असम	84.1
उत्तर प्रदेश	83.4
उत्तराखंड	83.2
मणिपुर	79.9
अरुणाचल प्रदेश	79.2
बिहार	76.2
झारखंड	75.8
मेघालय	58.1
नागालैंड	45.7
स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5, 2019-21)	

*****